रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1970/भाद्र 21, 1892
No. 338] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1970/BHADRA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

(RUBBER CONTROL)

New Delhi, the 12th September 1970

S.O. 3006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) and in partial modification of the Government of India, late Ministry of Commerce Notification S.O. No. 3772 dated the 20th October, 1967, the Central Government hereby fixes with immediate effect for all classes of business the minimum price of Rs. 520 per 100 kgs. for R.M.A. I grade rubber nearest district headquarters exclusive of cess and sales tax.

[No. 16(3)Plant(B)/69.]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

(रबड़ नियंत्रण)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1970

का० आ० 3006.—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य

मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3772 दिनांक 20 अक्तूबर, 1967 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार व्यवसाय के सभी वर्गों के लिये आर०एम०ए० I ग्रेड रबड़ का निकटतम जिला मुख्यालय न्यूनतम मूल्य 520 रुपये प्रति 100 किग्रा एतद्द्वारा निर्धारित करती है और इस में उपकर तथा बिक्री कर शामिल नहीं है ।

[सं० 16(3)प्लांट(बी)/69]

सी० एस० रामचन्द्रन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970